(28)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर Rs 30/-

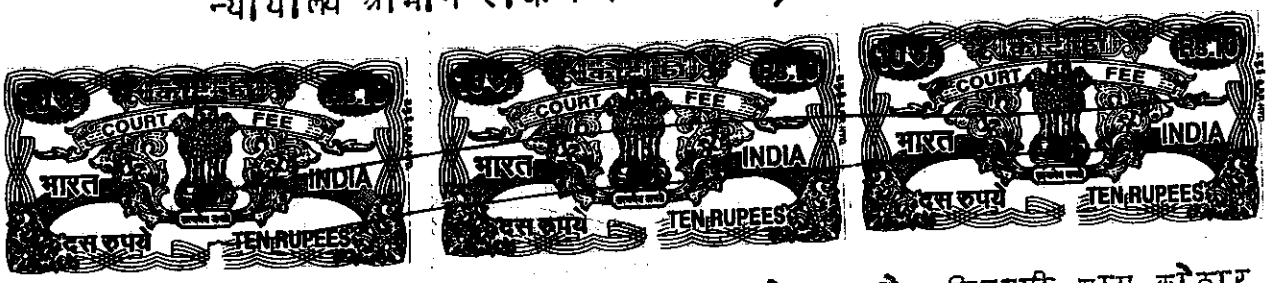

R5241-II/16

1- श्रीमती सावित्री पाण्डेय पिता सुरेश पाण्डेय निवासी ग्राम कोठार, पो. महराजपुर, जिलासीधी मप्र0,

2- चन्द्रशेखर मिश्रा पिता हर प्रसाद मिश्रा, निवासी ग्राम-पो. हिनौती, तहसील न्यू रामनगर, जिलासतना मप्र0,

3- निर्मला देवी पति रामनिवास मिश्रा, ग्राम-पो. हिनौती, तहसील न्यू रामनगर, जिलासतना मप्र0,

4- श्रीमती आभा शुक्ला पत्नी ओंकार शुक्ला, निवासी ग्राम गहरहा, पो. बाघड़, जिला सीधी मप्र0 - ---अपीलान्टगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन - ---- प्रत्यर्थी

श्री. रामकरण देव पांडेय
द्वारा आज दिनांक 27-5-16
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालयअपर आयुक्त महो रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र. 341/अपील/13 मे पारित आदेश दिनांक 30. 3. 16, अन्तर्गत धा 44(2) मप्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

==========

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है:-

1:- यहकि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरी होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमियां पूर्व पट्टेदार से अपीलार्थीगण क्रय कर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5241–दो/2016 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18 –11–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदिका द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 341/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि कलेक्टर सिंगरौली ने प्रकरण कमांक 16/अ–4/12–13 में पारित आदेश दिनांक 23–10–12 के द्वारा ग्राम अमलोरी की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 134 सहित अन्य भूमियों का अवैध तरीके से अर्जन होने से उक्त भूमियों को पुनः शासकीय घोषित किया गया था। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध सर्वे कमांक 134 के पट्टाग्रहिता द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो आदेश दिनांक 11–4–2014 के द्वारा स्वीकार की गई थी। आवेदकगण द्वारा मूल पट्टाग्रहिता से भूमि कय किये जाने संबंधी तर्क किया है, यदि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 11–4–2014 के द्वारा मूल पट्टाग्रहिता के नाम पूर्ववत भूमि अंकित कर दी गई है/आवेदकगण द्वारा मूल पट्टाग्रहिता से भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय की है तो आवेदकगण सक्षम न्यायालय में नामांतरण कराने के	

लिए स्वतंत्र है। इस स्तर इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है क्योंकि आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। दर्शित परिस्थतियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य